

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-16/2025

6697

/पटना, दिनांक- 25-6-25

प्रेषक,

आदित्य प्रकाश,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

मुख्या अभियंता-05 (मुजफ्फरपुर), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण
प्रमंडल, सहरसा।

विषय : मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष- 001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के चिकित्सा प्रतिपूति मद में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 06 01 चिकित्सा प्रतिपूति मद में भुगतान हेतु कुल ₹ 0.56803 (छप्पन हजार आठ सौ तीन) लाख रु0 मात्र की राशि सारणी-1 के अनुसार कार्यालयों के नाम के सामने अंकित राशि के अनुरूप आवंटन प्रदान किया जाता है।

सारणी-1

(सभी राशि लाख रु0 में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	विवरणी	आवंटित राशि	कार्यालय आदेश/स्वीकृत्यादेश	पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4	5	
2	मुख्य अभियंता-05	श्री प्रकाश आनन्द, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रा0का0वि0, मुख्य अभियंता-05 के पत्नी पर हुए व्यय की चिकित्सा प्रतिपूति	0.32003	कार्यालय आदेश सं०-43 दिनांक-03.06.2025	1698/03.06.2025
3	जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमंडल, सहरसा	श्री फिरोज अहमद, निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रा0का0वि0, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमंडल, सहरसा के स्वयं के चिकित्सा पर हुए व्यय की चिकित्सा प्रतिपूति	0.24800	कार्यपालक अभियंता का ज्ञापांक-325 दिनांक-05.06.2025	284/16.05.2025
	कुल		0.56803		

2. यह राशि मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष-00- लघुशीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के अन्तर्गत 06 01 चिकित्सा प्रतिपूति मद में

14

वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु उपबंधित राशि से विकलित होगी। जिसका विपत्र कोड सं०- 37-2515000010009 है।

3. उक्त आवंटन से चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में भुगतान नियमानुसार ही किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित होना चाहेंगे कि बकाया आदि का भुगतान पूर्व में न की गयी हो।

4. सारणी में अंकित राशि का आवंटन CFMS प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक-277/वि० दिनांक 28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृतिदेश सं०-4010 दिनांक-08.04.2025 में निहित निदेशों के आलोक में निर्गत किया गया है।

7. इस आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475 में दिए गए निदेश के आलोक में किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों/नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।

8. आवंटन प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का संचिका सं०-13/अ०प्र०-01-16/2025 के पृ०-13/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-16/2025

6697

/पटना, दिनांक- 25.6.25

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को निबंधित डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-16/2025

6697

/पटना, दिनांक- 25.6.25

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-16/2025

6697

/पटना,दिनांक- 25-6-25

प्रतिलिपि :संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ मा0 मंत्री के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/संयुक्त सचिव, के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-16/2025

6697

/पटना,दिनांक- 25-6-25

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

सरकार के अवर सचिव